

चुनाव अत्यावश्यक

क्रमांक:-प. 12(6)साप्र/2/2023

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

जयपुर, दिनांक: 10.08.2023

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के 09 जिलों (अजमेर, बांसवाडा, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जालौर, नागौर, सवाई माधोपुर एवं टोंक) में नगरीय निकायों के 10 सदस्यों के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह अगस्त, 2023 में करवाये जा रहें हैं (प्रति सलग्न)। उक्त नगरीय निकायों में मतदान दिनांक 20.08.2023 (रविवार) को होगा। अतः मतदान दिवस दिनांक 20.08.2023 (रविवार) को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(शैली किशनानी)
विशिष्ट शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ. 4(2)(1)नपा/रानिआ/ 2023/ 2959

दिनांक : 11.08.23

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, बांसवाडा, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जालौर, नागौर, सवाई माधोपुर एवं टोंक।



(पिंकी शर्मा)
सहायक सचिव